कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–9757 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जनवरी, 12 – 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या–पी–294 / 81–2–2023 –800(283) / 2023 दिनांक–28.12.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–1620 / 11–सी दिनांक–29.12.2023,

महोदय,

बिषयक मामले मे उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या–पी–294 / 81–2–2023–800(283) / 2023 दिनांक–28.12.2023 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या / अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया हैः–

"प्रश्नगत परियोजना में कुल 15.567हे0 वनभूमि (2.020हे0 पूर्ण रुप से वन क्षेत्र से आच्छादित तथा 13.547हे0 धारा 4 से प्रभावित वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा 34 वृक्षों के पातन का मामला निहित है। इससे वनभूमि के डायवर्जन से वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। इससे प्रस्ताव की Healthiness पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।"

उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1650 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 11.01.2024 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया है कि प्रभागीय कार्यालय ओबरा के पत्रांक–1551 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक–30.12.2023 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उक्त के संबंध मे आख्या / अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के कार्यालय के पत्रांक–57 / ओबरा / 33 दिनांक–10.01.2024 द्वारा आख्या / अभिलेख प्रभागीय कार्यालय ओबरा में उपलब्ध कराया गया है। जो निम्नानुसार हैः–

जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–जुगैल, परगना–अगोरी, तहसील–ओबरा, जनपद–सोनभद्र के आराजी गाटा संख्या 5380खमि, 5381मि0, 5382कमि0, 5384 व 5385ख कुल रकवा 15.567 हे0 गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया है। उक्त चयनित गैर वन भूमि में से 4.00 हे0 क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त तथा 11.567 हे0 क्षेत्र अनुपयुक्त है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अनुपयुक्त कुल 11.567हे0 क्षेत्र के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि (जुगैल कं0नं0 7 में 13.134 हे0 व डाला कं0नं0 8 में 10.00 हे0) कुल 23.134हे0 क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव में अपलोड किया गया है। जिसमें कुल 29847 पौधो का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले 34 वृक्षों के पातन सापेक्ष 340 पटरी वृक्षारोपण किया जाना उचित प्रतीत होता है। भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में यदि पटरी वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जाती है तो उसका अनुपालन प्रस्तावक विभाग से कराया जायेगा। रोड साईट पटरी वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)** "

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण (गैर वन भूमि एवं अवनत वन भूमि पर) एवं एन0पी0वी0 के अतिरिक्त प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले 34 वृक्षों के पातन के सापेक्ष 340 वृक्षों का पटरी वृक्षारोपण करनें की संस्तुति सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–2)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या–2757/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक–1650/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 1101.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।